संख्या-10/2022/828ई-2/तेरह-2022-72/2006

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 04 मई, 2022

विषय- मेसर्स क्रैव सिम्पली एल.एल.पी., पंजीकृत कार्यालय 68, ई.डी.एम. मॉल के सामने, जयपुरिया इनक्लेव कौशाम्बी, गाजियाबाद द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "दि फ्लाइंग डचमैन कैफे एण्ड बार", हश फूड मॉल, प्लाट नं. 41-44, शॉप नं.-02, एच. ब्लाक मार्केट, सेक्टर-63, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-152/दो-प्रा.एम.बी.(15)/लघु यवासवनी, दिनांक 18-04-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-04-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश हित एवं राजस्व हित में मेसर्स क्रैव सिम्पली एल.एल.पी., पंजीकृत कार्यालय 68, ई.डी.एम. मॉल के सामने, जयपुरिया इनक्लेव कौशाम्बी, गाजियाबाद द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "दि फ्लाइंग डचमैन कैफे एण्ड बार", हश फूड मॉल, प्लाट नं0 41-44, शॉप नं0-02, एच. ब्लाक मार्केट, सेक्टर-63, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने के लिए माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम0बी0-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के आधार पर उक्त इकाई को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई/ माइक्रो ब्रिवरी द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 27-02-2021 में उल्लिखित शर्तें।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली-2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।